कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / **दिनांक–**

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण(DUDA), खगड़िया
जिला– खगड़िया

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, खगड़िया के फरवरी 2012 से जनवरी 2017 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1254 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कारंवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/ 14662/22 **दिनांक–** 19.4.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, खगड़िया

19/04/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 1254/16–17

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, खगड़िया
2	लेखा परीक्षा की अवधि	फरवरी 2012 से जनवरी 2017
3	लेख परीक्षा का कार्य क्षेत्र	लेखा परीक्षा में प्रस्तुत व जॉच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–1 पर तथा अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–2 पर दी गयी है।
4	लेखा परीक्षा की तिथि	16.02.17 से 25.02.17 तक (08 कार्य दिवस)
5	**कार्यपालक अभियंता :–** **1 श्री उमाकांत रजक** **2 श्री ब्रज किशोर ओझा** **3 श्री रामानंद महतो** **4. श्री मदन प्रसाद सिंह**	**कार्यकाल** **02.02.12 से 04.02.13 तक** **04.02.13 से 03.08.13 तक** **03.08.13 से 30.08.16 तक** **30.08.16 से वर्तमान समय तक**
6	लेखा परीक्षा दल के सदस्य	1. श्री कौशल किशोर (स.ले.प.अ) 2. श्री निखिल कुमार गौतम (स.ले.प.अ.) 3. श्री अभिषेक कुमार (व.ले.प.) 4. श्री विकाश कुमार–II (ले.प.)
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	5. श्री शैलेन्द्र नारायण मिश्रा (व.ले.प.अ.)
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	इस इकाई का महालेखाकार कार्यालय द्वारा यह प्रथम अंकेक्षण है।
9	लेखा परीक्षा टिप्पणी	जिला शहरी विकास अभिकरण, खगड़िया द्वारा लेखाओं का संधारण संतोषप्रद रूप से नही किया गया था। वार्षिक लेखे का संधारण नही किया जा रहा था।
10	क्या आपत्तियों पर विचार– विमर्श किया गया?	हाँ।

<u>दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र</u>

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, खगड़िया द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

11. आवंटन

उपलब्ध संचिका में संलग्न वितरणी के अनुसार, जिला शहरी विकास अभिकरण खगड़िया को निम्नलिखित आवंटन प्राप्त हुआ–

क0सं0	स्वीकृति पत्र/चेक सं0/ दिनांक	राशि	मद एवं प्रयोजन
01	665066/14.02.12	200000	मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना
02	665065/29.09.12	4520000	— तथैव —
03	665067/ —	1729500	— तथैव —
04	665068/16.01.13	5273000	— तथैव —
05	665069/16.01.13	761500	— तथैव —
06	विपत्र के माध्यम से 1858/31.10.12	6467626	— तथैव —
07	665070/23.07.13	300000	— तथैव —
08	665072/09.01.14	152636	— तथैव —
09	665079/18.02.14	1593414	— तथैव —
10	138042/15.05.15	6749724	— तथैव —
11	138043/27.05.15	13946450	— तथैव —
		41693850	
12	665063/24.04.12	1200000	नागरिक सुविधा
13	665073/29.01.13	600000	— तथैव —
		1800000	

जवाब में बताया गया कि इसके उपरान्त प्रश्नावली में अंकित आवंटन के अतिरिक्त अन्य आवंटन निम्नवत है।

क0सं0	दिनांक/चेक सं0	राशि मद एवं योजना
01	1109,08.08.16/138047	4782250
02	1181,18.08.16/138049	5512650
03	66,19.01.17/138050	1436650
04	132,31.01.17/741421	5769600

12. संव्यवहार

मुख्यमंत्री नगर विकास योजना

	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	–	190000	18728401	18219644	13551487
प्राप्तियॉ	200000	18751626	2046050	–	20696174
योग	200000	18941626	20774451	18219644	34247661
व्यय	10000	213225	2554807	4668157	9903292
अंतशेष	190000	18728401	18219644	13551487	24344369

नागरिक सुविधा मद

	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
प्रारंभिक शेष	–	127464	727464	185827
प्राप्तियॉ	1200000	600000	–	–
योग	1200000	727464	727464	185827
व्यय	1072536	–	541637	119297
अंतशेष	127464	727464	185827	66350

टिप्पणी– 31 मार्च 2016 को बैंक खाता का शेष निम्नवत था–

बैंक ऑफ बड़ौदा खगड़िया खाता संख्या–31180100007161 राशि रू 13625803

संबंधित खाता का बैंक पासबुक अद्यतन कर लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। कई योजनाएँ जो भौतिक रूप से पूर्ण दर्शायी गयी है उसे पर्याप्त राशि की उपलब्धता के बावजूद वितीय रूप से पूर्ण नहीं किया गया था। रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के मध्य अन्तर का समायोजन विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि तकनीकी पदाधिकारियों की कमी के कारण अभिश्रव एवं मापी पुस्तिका का संधारण ससमय नहीं होने के कारण भुगतान लंबित है। रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अंतशेष का मिलान कर लिया जाएगा।

भाग–II (क)

---शुन्य---

भाग–II (ख)

कंडिका सं0 –01 रू. 31.70 लाख के विलम्ब शुल्क की कटौती नहीं एवं योजनाओं के कियान्वयन में अन्य अनियमिताएँ

1. जिला शहरी विकास अभिकरण, खगड़िया द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये संचिका में NIT (निविदा सूचना) की प्रति संलग्न नहीं पाया गया,
2. (क) योजना का नाम–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खगडिया परिसर में वाहन पार्किंग का निर्माण एवं परिसर का विकास।

   प्राक्कलित राशि– 4643500

   एकरारनामा सं0–4F_2/15–16 M.B No-24

   एकरारनामा की राशि– रू 3967686

   संवेदक का नाम– श्री गिरीश कुमार

   कार्यादेश की तिथि– 02.09.15 पूर्ण करने की प्रस्तावित तिथि – 01 01.16

   अद्यतन मापी–द्वितीय विपत्र– रू 3405194

   मापी पर क0अ0/ स0अ0/ कार्य अभियन्ता का हस्ताक्षर नहीं था ना ही प्रविष्टि तिथि अंकित पाया गया

   योजना की स्थिति– अपूर्ण

   टिप्पणी:–निविदा की शर्तो के clause-2 के अनुसार समय पर कार्य पूर्ण नही किये जाने की स्थिति में प्राक्कलित राशि की 1/2 (0.5) प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने का उपबंध था, जो नहीं किया गया, परिणामस्वरूप रू 464350 का अधिक भुगतान किया गया।

   (ख) योजना का नाम–कोशी कालेज मुख्य गेट से कल्याण छात्रावास होते हुए प्रशासनिक भवन तक सड़क निर्माण।

   प्राक्कलित राशि– 4354772

   एकरारनामा सं0–9F_2/14–15 M.B No-10

   एकरारनामा की राशि– रू 3919295

   संवेदक का नाम– श्री विश्वकर्मा इन्जिकॉम (प्रा0) लिमिटेड

   कार्यादेश की तिथि– 23.01.15 पूर्ण करने की अवधि –22.04.15

   अद्यतन मापी–तृतीय विपत्र–23.07.16 रू 3745493.28

टिप्पणी:– (i) रू 90000 मूल्य का राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र कार्यपालक अभियन्त, लोक निर्माण विभाग के पक्ष में संलग्न पाया गया।

(ii) प्राक्कलन की प्रति, भुगतान की विपत्र (अंतिम) संलग्न नहीं किया गया।

(iii) एकरारनामा की शर्तो के clause-2 के उपबंधो के अनुरूप विलम्ब शास्ति के रूप में 10 प्रतिशत अर्थात रू 435477 की कटौती नही किया गया, परिणामस्वरूप इतनी राशि का अधिक भुगतान किया गया।

(ग) योजना का नाम–नगर पंचायत गोगरी अन्तर्गत गोशला से जी.एन. बॉध होते हुए मुश्कीपुर कब्रिस्तान बाईपास पथ निर्माण कार्य।

प्राक्कलित राशि–रू 11810200 अधी0 अभि0 05.12.13

संशोधित – रू 11253827 तथैव–28.12.13

प्रशासनिक स्वीकृति रू 10546000 आयुक्त मुंगेर प्रमण्डल– 28.12.12

एकरारनामा सं0–01F2 /14–15 M.B No-17

एकरारनामा की राशि– रू 11253827

संवेदक का नाम– पी0एन0एस0 कंस्ट्रक्शन (एकल निविदा)

अद्यतन मापी– द्वितीय विपत्र 05.03.16 रू 5021905

कार्यादेश की तिथि– 09.12.14 पूर्ण करने की तिथि –08.06.15

भुगतान –रू 5273000

टिप्पणी:–(i) एकल निविदा पर कार्य का आवंटन किया गया।

(ii) निविदा 04.04.15 को संवेदक को कार्य प्रारंभ करने का स्मार पत्र दिया गया अर्थात इस तिथि तक लगभग चार माह तक कार्य प्रारंभ नही किया गया था।

(iii) एकरारनामा की शर्तो के clause-2 के उपबंधो के अनुरूप विलम्ब शास्ति के रूप में 10 प्रतिशत अर्थात रू 1125382 की कटौती नहीं किया गया, परिणामस्वरूप इतनी राशि का अधिक भुगतान किया गया।

(घ) योजना का नाम–नगर थाना महिला थाना, चित्रगुप्त नगर थाना, डी0आर0डी0ए0 परिसर, समाहरणालय परिसर में चार यूनिट सीट शौचालय एवं यूरिनल महिला एवं पुरूष बोरिंग पानी टंकीयुक्त निर्माण।

प्राक्कलित राशि– 3640500

एकरारनामा सं0–10F2 /2015–16 M.B No-30

एकरारनामा की राशि– रू 3115197

प्रशासनिक स्वीकृति 3132740

संवेदक का नाम–मे0 काशी कन्ट्रक्शन

कार्यादेश की तिथि– 12.12.15 पूर्ण करने की अवधि –11.06.16

अद्यतन मापी–द्वितीय विपत्र–04.06.16 रू 1578237

योजना की स्थिति– अपूर्ण

टिप्पणी:– एकरारनामा की शर्तो के clause-2 के उपबंधो के अनुरूप विलम्ब शास्ति के रूप में 10 प्रतिशत अर्थात रू 364050 की कटौती नही किया गया, परिणामस्वरूप इतनी राशि का अधिक भुगतान किया गया।

(ड़) योजना का नाम–कोशी महाविद्यालय पसिर में सभी सड़को का पुनर्निर्माण।

प्राक्कलित राशि– 4945000

M.B No-26

एकरारनामा एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न नही

संवेदक का नाम– श्री धनपत कुमार जैन

अद्यतन मापी–प्रथम विपत्र–29.09.15 रू 1925611

टिप्पणी:–(i) एकरारनामा एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न नही पाया गया, जिसके कारण एकरारनामा की राशि एवं योजना पूर्ण करने की निर्धारित तिथि को सुनिश्चित नही किया जा सका।

(ii) एकरारनामा की शर्तो के clause-2 के उपबंधो के अनुरूप विलम्ब शास्ति के रूप में 10 प्रतिशत अर्थात रू 494500 की कटौती नही किया गया, परिणामस्वरूप इतनी राशि का अधिक भुगतान किया गया।

(च) योजना का नाम–सदर अस्पताल चौक से राजेन्द्र सरोवर के उत्तर पूर्व कोने तक कार्यपालक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के आवास होते हुए सड़क निर्माण।

प्राक्कलित राशि– 2862903

संवेदक – श्री तरूण कुमार आनन्द

एकरारनामा की राशि– रू 2858895 एकल निविदा

कार्यादेश –संलग्न नहीं

कार्य प्रारंभ करने की तिथि .09.01.15 पूर्ण करने की अवधि – 08.04.15

अद्यतन मापी–द्वितीय विपत्र/23.09.16 रू 2853488 मापी पुस्तिका सं0 11

टिप्पणी:– एकरारनामा की शर्तो के clause-2 के उपबंधो के अनुरूप विलम्ब शास्ति के रूप में 10 प्रतिशत अर्थात रू 286290 की कटौती नहीं किया गया, परिणामस्वरूप इतनी राशि का अधिक भुगतान किया गया।

अतः उपरोक्त छः योजनाओं को समय पर कार्य पूर्ण नहीं किये जाने की स्थिति में प्राक्कलित राशि का 1/2 (0.5) प्रतिशत प्रतिदिन अधिकतम 10 प्रतिशत की कटौती किये जाने का उपबंध था, जो नहीं किया गया, परिणामस्वरूप रू 3170049 का अधिक भुगतान किया गया।

जवाब में बताया गया कि क्रम सं. (i) निविदा सूचना मूल संचिका में संलग्न है जिसकी प्रति संलग्न की जा रही है।

(ii) (क) संबंधित कनीय अभियंता से सम्पर्क कर माप पुस्तिका में हस्ताक्षर करवा लिया गया है एवं प्रविष्टि की तिथि अंकित करवा लिया गया है। भौतिक रूप से योजना ससमय पूर्ण कर ली गई है। तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण माप पुस्त के संधारण में विलम्ब हुआ एवं आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है।

(ख) (i) सुरक्षित जमा की राशि कार्यपालक अभियंता डूडा के पक्ष समर्पित किया गया है, जो मूल संचिका में संलग्न है जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

(ii) मूल संचिका में संलग्न है दिखा दिया गया।

(ग) (i) योजना का तीन बार निविदा करने के बावजूद भी एकल निविदा ही प्राप्त होने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के विभागीय निविदा समिति के निर्णय के द्वारा कार्य आवंटित किया गया है।

(ii) संवेदक को स्मारित करने के उपरांत कार्य का निष्पादन किया गया है।

(iii) अगले भुगतान के समय संवेदक से विलंब शास्ति की कटौती कर ली जाएगी।

(घ) अगले भुगतान के समय संवेदक से विलंब शास्ति की कटौती कर ली जाएगी।

(ड़) (i) मूल संचिका में संलग्न है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

(ii) भौतिक रूप से योजना ससमय पूर्ण कर ली गई है तकनीकी कर्मियों की कमी के कारण माप पुस्त के संधारण में विलम्ब एवं आवंटन के अभाव में भुगतान लंबित है।

(च) योजना ससमय एकरारनामा की शर्तो के अनुसार पूर्ण कर ली गई है।

अतः उत्तर के आलोक में कार्रवाई की जाए।

कंडिका सं0 –02 एकल निविदा पर कार्य का आवंटन राशि रू 159.41 लाख

निविदा पंजी के अवलोकन से यह पाया गया कि निम्नलिखित योजनाएँ एकल निविदा के आधार पर संवेदको को आवंटित किया गया था:–

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	एकरारनामा की राशि	संवेदक का नाम
01	वाईपास के गौशाला जी0एन0 बॉध से मुश्कीपुर कब्रिस्तान तक सड़क निर्माण (01F2 of 2014-15)	11253827	11253827	मे0 पी0एन एस0 कन्सट्क्शन
02	03/सदर अस्पताल चौक से राजेन्द्र सरोवर के उत्तर पूर्व कोने तक कार्य0 अभि0 लो0नि0विभाग के आवास होते हुए पी0सी0सी0 सड़क निर्माण (मु0मं0श0वि0यो0)	2862903	2858895	श्री तरूण कु0 आनन्द
03	10/नगर पंचायत गोगरी अन्तर्गत फकीर टोला मस्जिद के नजदीक शौचालय निर्माण	192635	190708	श्री नवल किशोर
04	14/नगर पंचायत गोगरी अन्तर्गत मिर्जागंज में सामुदायिक भवन का निर्माण	1043618	991437	– तथैव –
05	15/नगर पंचायत गोगरी अन्तर्गत वार्ड सं0 6 जामील के घर के पास सामुदायिक भवन निर्माण	680817	646776	– तथैव –
			15941643	

उपर्युक्त कार्यो का आवंटन नियमों के विरूद्ध एकल निविदा पर आवंटित किया गया था। ज्ञातव्य है कि उपर्युक्त क्र0सं0 1 की निविदा तिथि दिनांक 21.04.14 को दो परिणाम विपत्र तथा दिनांक 14.01.14 को एक परिणाम विपत्र की बिक्री की गयी लेकिन 30.06.14 को एकल निविदादाता मे0 पी0एन0एस0 कन्सट्रक्शन, खगड़िया को प्राक्कलित राशि के मुल्य पर कार्य का आवंटन किया गया था।

जवाब में बताया गया कि कम सं0 01 की योजना का तीन बार निविदा करने के बावजूद भी एकल निविदा ही प्राप्त होने के कारण नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के विभागीय निविदा समिति के निर्णय के द्वारा कार्य का आवंटन किया गया है, एवं कम सं0 2,3,4 एवं 5 भी अधीक्षण अभियंता बूडा पटना से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत ही कार्यान्वित किया गया है।

एकल निविदा पर कार्य आवंटित करने के कारण अभिकरण प्रतिस्पर्धात्मक दर से वंचित रहा।

कंडिका सं0–03 दो से तीन वर्षो की अवधि के उपरान्त भी योजनाएँ अपूर्ण व्यय राशि रू 162. 49 लाख

उपलब्ध योजना विवरणी/पंजी के अनुसार वर्ष 2012–13 से 15–16 की अवधि की योजनाएँ लेखापरीक्षा तक अपूर्ण थी। विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	योजना का नाम	एकरारनामा राशि (लाख में)	कार्यादेश की तिथि	पूर्ण करने की तिथि	भुगतान (लाख में)
01	बस स्टैण्ड खगड़िया के पास यात्री शेड एवं पार्क का निर्माण	21.69	29.11.12	28.03.13	17.94861
02	सुखदेव पहलवान के घर से जी0एन0बॉध वाया योगेन्द्र यादव के घर होते हुए सड़क निर्माण (गोगरी)	12.76784	28.02.15	27.05.15	–
03	न0पं0 गोगरी अन्तर्गत पी0डब्ल्यू डी0 सड़क से राज किशोर शिक्षक के घर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	8.15699	28.02.15	27.05.15	4.79935

04	गोगरी जमालपुर अन्तर्गत पी0डब्ल्यू0डी0 सड़क से भगवान हाईस्कूल तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	24.14868	27.06.15	26.09.15	13.86475
05	नगर पंचायत गोगरी अन्तर्गत लक्ष्मीनगर सब्जी बाजार का जीर्णोद्धार	7.70747	21.02.15	20.05.15	4.32913
06	नगर पंचायत गोगरी अन्तर्गत वार्ड सं0 06 जामील के घर के समीप सामुदायिक भवन का निर्माण	6.46776	09.01.15	08.07.15	6.7217
07	सदर अस्पताल खगड़िया में शेड एवं शौचालय तथा जलापूर्ति व्यवस्था	14.94387	27.06.15	26.12.15	7.038
08	सदर प्रखण्ड खगड़िया में आर0टी0पी0एस0 केन्द्र, शौचालय, पार्किंग स्टैण्ड का निर्माण	31.71365	08.01.16	07.07.16	14.87727
09	जि0ग्रा0वि0अभि0परिसर में वाहन पार्किंग स्टैण्ड	39.67686	02.09.15	01.01.16	18.7129
10	कोशी कॉलेज परिसर में पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	42.38561	02.09.15	01.12.15	20.43377
11	नगर थाना महिला थाना चित्रगुप्त नगर थाना, जि0ग्रा0वि0अ0 एवं समाहरणालय परिसर में शौचालय, पेशावखाना, पानी की व्यवस्था	31.15197	12.12.15	11.06.16	16.57148
12	डा0 भीमराव अम्बेडकर भवन निर्माण	8.54789	02.09.15	01.01.16	4.56215
13	लाल बाबू गर्ल्स हाईस्कूल में चहारदीवारी हॉल, पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	13.32523	04.03.16	03.09.16	8.1693
14	आर्य समाज गर्ल्स हाईस्कूल खगड़िया में कॉमन हॉल का निर्माण	13.32523	04.03.16	03.09.16	8.6775
15	बाईपास रोड से संतमत सत्संग मंदिर तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण	4.00342	11.12.15	10.03.16	–
16	गोगरी जमालपुर अन्तर्गत विशहरी स्थान से पोखर तक पी0सी0सी0 सड़क	6.09031	02.09.15	01.12.15	–
17	गोगरी जमालपुर सड़क अन्तर्गत प्रभु साह के घर से कमलेश्वरी मंडल के घर तक पी0सी0सी0 सड़क	17.85944	02.09.15	01.12.15	10.0007
18	गोगरी प्रखण्ड में आर0टी0पी0एस0 केन्द्र का निर्माण	9.04011	08.12.15	07.06.16	5.781
					162.49

उपर्युक्त योजनाएँ अधिकतम 06 महीने में पूर्ण कर ली जानी थी, लेकिन लेखापरीक्षा (02/17) तक अपूर्ण थी।

जवाब में बताया गया कि कम सं0 02,15 एवं 16 के योजनाओं में स्थानीय निवासियों द्वारा कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण कार्य प्रारंभ नही किया जा सका। कम सं0 11 पर अंकित योजना को छोड़कर शेष योजनाऐं भौतिक रूप से पूर्ण है, आवंटन के अभाव से भुगतान लंबित है। अतः अपूर्ण योजनाओं को यथाशीघ्र पूर्ण कराया जाए।

कंडिका सं0– 04 स्वीकृत योजनाओं का कार्यान्वयन नही

उपलब्ध संचिका/ अभिलेखों के नमूना अवलोकन से यह पाया गया कि योजनाएँ योजना समिति से पारित होने एवं राशि प्राप्त होने के बावजूद भी कार्यान्वित नहीं की गयी थी, विवरण निम्न प्रकार है–

क्र0सं0	स्वीकृति पत्र/ दिनांक	प्रा0 राशि	विमुक्त राशि	योजना का विवरण
01	69/जि0पदा0/ 15.01.13	1523000	761500	नगर परिषद क्षेत्र के 11 प्रमुख चौक चौराहो पर मल्टी परपस हाई मास्ट सोलर लाईट का कार्य
02	68/जि0पदा0/ 15.01.13	3459000	1729500	नगर पंचायत गोगरी के 25 प्रमुख स्थानो, चौक चौराहो पर मल्टी परपस हाईमास्ट लाईट कार्य
03	1711/जि0पदा0/ 06.10.12	1597000	–	नगर पंचायत गोगरी जमालपुर वार्ड नं0 14 शिव मन्दिर पी0सी0सी0 सड़क से उपेन्द्र नारायण सिंह होते हुए शिवकान्त ठाकुर के घर से ओम प्रकाश मंडल के घर तक पी0सी0सी0 सडक निर्माण

उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया गया जबकि क्र0सं0 1 एवं 2 के लिए 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध थी।

जवाब में बताया गया कि जिला पदाधिकारी खगड़िया के निर्देशानुसार योजनाओं का कार्यान्वयन न करते हुए मांग के आधार पर राशि वापस कर दी गई है।

कंडिका सं0 –05 परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना– रू 4.16 लाख

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा करने का प्रावधान है। उन्हें अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) खगड़िया के अभिलेखों की जॉच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी.ओ.क्यू) की बिक्री की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा बैक ऑफ बड़ौदा, खगड़िया में खाता सं0– 31180100007161 में जमा किया गया था। यह पाया गया कि इस खाते में दिनांक 31.01.17 तक रू 416950 जमा थी। परन्तु यह राशि डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं की गयी थी। इस प्रकार सरकारी धन को कार्यालय द्वारा अवरूद्ध रखा गया था।

जवाब में बताया गया कि विभागीय मार्गदर्शन के अभाव में परिमाण विपत्र की राशि जमा नहीं की जा सकी है। मार्गदर्शन की मांग की जा रही है प्राप्त होते ही उचित कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका सं0–06 सूद की राशि का अवरोधन रू 11.84 लाख

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– को0प्र0/विविध–06/2015/4349 दिनांक– 12.05.2015 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार द्वारा सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राशि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतशेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि को पी0एल0 खाते में जमा करायी जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुसंगत शीर्ष में जमा कराया जाए।

जिला शहरी विकास अभिकरण खगड़िया के कार्यालय के रोकड़ बही एवं पास बुक के अवलोकन में पाया गया उपरोक्त नियम व दिशा निर्देशों का पालन न कर विभिन्न योजना मद में प्राप्त अनुदान की राशियों पर बैंक में प्राप्त सूद की राशि संबंधित रोकड़ बही में प्रविष्टि कर निरर्थक रखी हुई थी। विविध/विभिन्न शीर्षो में जमा राशि पर दिनांक 31.01.17 तक अर्जित सूद की कुल राशि रू 1184498 थी। प्राप्त अनुदान की राशि पर अर्जित बैंक ब्याज को सूद की रोकड़ बही में रखा गया था।

जवाब में बताया गया कि विभागीय मार्गदर्शन के अभाव में प्राप्त सूद की राशि जमा नहीं की जा सकी है। मार्गदर्शन की मांग की जा रही है प्राप्त होते ही, उचित कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका सं0–07 लघु खनिज सामग्री की ढुलाई पर अनियमित भुगतान राशि रू 2.40 लाख

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40(10) के प्रावधानानुसार अवैध खनन को रोकने एवं लघु खनिज की ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित करने हेतु संवेदकों से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' एवं चालान का लिया जाना अनिवार्य है। चालानों का सत्यापन संबंधित खनन पदाधिकारी से कराए जाने के पश्चात् ही विपत्रों का भुगतान किया जाना है।

अभिलेखों के जॉच में पाया गया कि सरकार के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना करते हुए संवेदक से प्रपत्र 'एम' तथा 'एन' के साथ चालानों की प्रति लिये बगैर/सत्यापन कराये बिना सिर्फ रॉयल्टी की कटौती कर संवेदक के विपत्रों का भुगतान कर दिया गया। इससे यह सुनिश्चित नही किया जा सकता है कि लघु खनिज की जो सामग्रियों कार्य के उपयोग में लाई गयी थी, वह प्राक्कलन में प्रावधानित स्थलों/खदानों से ही लाई गयी थी। इससे कार्य में प्रयुक्त सामग्री की मात्रा, गुणवता एवं ढुलाई भुगतान को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। इससे अवैध खनन को बढ़ावा दिये जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ढुलाई मद में किया गया भुगतान अनियमित था।

कार्य का नाम– मुख्यमंत्री नगर विकास योजना के अन्तर्गत नगर थाना, महिला थाना, चित्रगुप्त नगर थाना डी0आर0डी0ए0 परिसर समाहरणालय परिसर में चार यूनिट सीट शौचालय एवं यूरिनल निर्माण

एकरारनामा संख्या– 10 एफ 2/15–16

संवेदक का नाम– श्री काशी कन्सट्रक्शन

एकरारनामा राशि– 3115197

तकनीकी स्वीकृति–3132740

कार्यारंभ की तिथि–12.12.15

कार्य पूर्ण की तिथि– 10.09.16

मापी पुस्तिका संख्या– 30

उक्त कार्य के अभिलेखों में लघु खनिज सामगी की ढुलाई पर किया गया व्यय अनियमित था, जिसका विवरणी इस प्रकार प्रकार है:–

सामग्री	मात्रा	ढुलाई का दर	भुगतान
स्टोन चिप्स	36.45 M^3	1523.75 M^3	55553
ईट	53058	555 प्रति हजार	29452
सिमेंट	796 बैग	42.75	33790
क्यूल बालू	91.70 M^3	1207.76/ M^3	110752
लोकल बालू	60.27 M^3	194.30/ M^3	11714
		कुल	241261

इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में लघु खनिज सामग्री के ढुलाई पर रू 241261.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

जवाब में बताया गया कि लघु खनिज समानुदान नियमावली के अंतर्गत खनन सेस की राशि की कटौती विपत्र से करते हुए संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा कर दिया गया है।

कंडिका सं0–08 Additional Performance Guarantee नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता (रू 6.04 लाख)

अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार पत्रांक प्र06/1/वी0–2/2003–3376 (एस0) दिनांक 17.08.2010 द्वारा कतिपय परिस्थिति के क्लेरिफिकेशन के संबंध में सभी विभागाध्यक्ष/अभियंत्रण शाखा को पत्र निर्गत किया गया था। इस पत्र के कंडिका सं0 (IV) में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कोई संवेदक विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन से Serious unbalanced कम दर अपनी निविदा में उद्धत करता है तो उससे Additional Performance Gurantee के रूप में राशि की मांग की जाए। परिमाण विपत्र की दर से 1 से 5 प्रतिशत कम उद्धत निविदा के लिए 0.25% प्रति एक प्रतिशत, 5% से 10% कम उद्धत के लिए 0.5% प्रति एक प्रतिशत एवं 10% से 15% कम उद्धत दर के लिए 1% प्रति एक प्रतिशत है। Additional Performance Gurantee की मांग करनी थी। लेकिन शहरी विकास अभिकरण खगड़िया द्वारा APG नहीं लिये जाने के कारण संवेदक को अदेय सहायता दिया गया था। विवरण निम्न प्रकार से है:–

योजना का नाम	एकरारनामा संख्या	प्राक्कलित राशि	एकरारनामा की राशि	कम दर	APG दर	APG मुल्य
Construction of road from main gate of koshi College of administrative building via welfare hostel nagar parishad khagaria	09F2/ 2014-15	4354772	3919295	10%	3.75%	146974
Construction of P.C.C. road from infront of SDO residence to primary school Gogari Jamalpur	10F2/ 2014-15	1750522	1575470	10%	3.75%	59080
Construction of P.C.C. road from house of Manoj Yadav to house of Devendra Rajak in ward no. 10	11F2/ 2014-15	1495545	1345991	10%	3.75%	50475
Renovation of Laxmi Nagar Sabji Bazar in Nagar Panchayat Gogri	12F2/ 2014-15	856386	770747	10%	3.75%	28903
Construction of Attendent shed & toilet with water supply & sanitary installation of sadar hospital khagaria	01F2/ 2015-16	1660385	1494387	10%	3.75%	56040
Construction of P.C.C. road from PWD road to boudary of Bhagwan high school via REO office of Gogri Jamalpur	02F2/ 2015-16	2683185	2414867	10%	3.75%	90558
Construction of P.C.C. road from Bishaharisthan to pokhar at gogri jamalpur	03F2/ 2015-16	678701	609031	10%	3.75%	22839
Construction of vehicle parking stand & campus development in DRDA Khagaria	04F2/ 2015-16	440854	3968686	10%	3.75%	148826
			16098474			603695

जवाब में बताया गया कि सभी योजनाओ में APG लेकर एकरारनामा किया गया है, जिसका साक्ष्य उपलब्ध है। लेकिन लेखापरीक्षा को साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।

कंडिका सं0–09 <u>कटौती की गयी राशि जमा नहीं राशि रू 8.35 लाख</u>

जिला शहरी विकास अभिकरण की लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी गयी रोकड़ बही के अनुसार संविदा पर कियान्वित योजनाओं से रायल्टी एवं श्रम सेस की कटौती की गयी पर वंचित शीर्ष में जमा नहीं किया गया है। रोकड़ बही के अनुसार दिनांक 31.01.2017 को कटौती कर जमा नही किया गया राशि निम्न प्रकार है –

दिनांक	रायल्टी	श्रम सेस
31.01.17	816137	19005

योजनाओं की कियान्वित से कटौती की गयी रायल्टी एवं श्रम सेस की राशि रू 835142 (816137+ 19005) जमा नहीं की गयी।

जवाब में बताया गया कि राशि को सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा करने की कार्रवाई की जा रही है। अतः उत्तर के अनुरूप कार्रवाई की जाए।

भाग–III
(नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी)

टिप्पणी– 01 डेढ़ वर्ष राशि अवरूद्ध रखकर वापस

निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण खगड़िया द्वारा चेक सं0 665067 और 665069/16.01.13 द्वारा कमशः रू 1729500 एवं रू 761500 नगर पंचायत गोगरी के 25 प्रमुख स्थानों पर मल्टी परपस हाई मास्ट लाईट एवं खगड़िया नगर परिषद क्षेत्र के 11 प्रमुख स्थानों पर मल्टी परपस हाईमास्ट लाईट कार्य हेतु आवंटित किया गया था।

उपर्युक्त राशि को डेढ वर्ष बाद राशि के विरूद्ध चेक सं0 519399/23.05.14 एवं 519400/23.05.14 द्वारा कमशः रू 761500 एवं 1729500 जिलाधिकारी खगड़िया को वापस कर दिया गया था।

जवाब दिया गया कि जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार योजना का कार्यन्वयन न करते हुए राशि को वापस कर कर दिया गया है।

टिप्पणी– 02 रोकड़ बही में त्रुटियॉ

जिला शहरी विकास अभिकरण की लेखापरीक्षा के दौरान उपलब्ध करायी गयी रोकड़ बही के अनुसार निम्न दिनांक को रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक के अनुसार अन्तर की राशि निम्न प्रकार है–

क0सं0	दिनांक	रोकड़ बही में राशि	बैंक पासबुक में राशि	अन्तर
1	31.03.13	19061069	12657796	6403273
2	31.03.14	19349330	13308352	6040978
3	31.03.15	14831608	15510183	678575
4	31.03.16	13444328	13625803	181475
5	31.01.17	13870347	14924574	1054227

1. रोकड़ बही का बैंक पासबुक से मिलान के कम में प्रत्येक वितीय वर्ष के अंत में बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नही किया गया था।
2. रोकड़ बही के सधारण में त्रुटियों का सुधार करने के लिए फ्लूड का प्रयोग किया गया था। रोकड़ बही के संधारण में होने वाली त्रुटियों को काटकर लाल स्याही से संशोधित कर संधारणकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया था।

–हस्ता0–
(शैलेन्द्र नारायण मिश्रा)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)